रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 746] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 9, 2001/आश्विन 17, 1923
No. 746] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 9, 2001/ASVINA 17, 1923

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2001

का.आ. 1013(अ).— केन्द्रीय सरकार, यह अभिनिश्चित करने की दृष्टि से यह आवश्यक समझती है कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951(1951 का 65) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) के अधीन किन आनुषंगिक और लघु औद्योगिक उपक्रमों को निम्नलिखित के लिए प्रभावकारी होने में उनकी जीवन क्षमता और सामर्थ्य बनाए रखने में समर्थ करने के लिए अनुपोषक उपायों, छूट या अन्य अनुकूल व्यवहार की आवश्यकता है :-

(क) देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का सामंजस्यपूर्ण रीति से संवर्धन करना और बेकारी की समस्या को कम करना, और

(ख) यह सुनिश्चित करना कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो, जिससे वे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो ;

और केंद्रीय सरकार उक्त प्रयोजन के लिए भारत सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) के आदेश सं. का.आ. 857(अ), तारीख 10 दिसंबर, 1997 का संशोधन करना आवश्यक समझती है ;

और अधिसूचित आदेश के उक्त संशोधन की एक प्रारूप प्रति को उक्त अधिनियम की धारा 11 ख की उपधारा (3) के अधीन यथापेक्षित रूप में तीस दिन की अवधि के लिए संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा गया था ;

और संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्तावित अधिसूचित आदेश के प्रारूप में किसी उपांतरण का सुझाव नहीं दिया गया है ;

अतः अब केंद्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951(1951 का 65) की धारा 11 ख की उपधारा (1) और धारा 29 ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) द्वारा अधिसूचित आदेश सं. का.आ. 857(अ), तारीख 10 दिसंबर, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :-

उक्त आदेश में,-

(क) लघु औद्योगिक उपक्रम से संबंधित पैरा (1) के अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह कि इस आदेश के परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट वस्तुओं का विनिर्माण करने वाले लघु औद्योगिक उपक्रम के संबंध में विनिधान की अधिकतम सीमा पांच क्रोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी ।";

(ख) समनुषंगी औद्योगिक उपक्रम से संबंधित पैरा (2) के अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह कि इस आदेश के परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट वस्तुओं का विनिर्माण करने वाले समनुषंगी औद्योगिक उपक्रम के संबंध में विनिधान की अधिकतम सीमा पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी ।"

(ग) टिप्पण 2 के पश्चात, निम्नलिखित परिशिष्ट जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"परिशिष्ट

वस्तुओं की सूची

(पैरा (1) या पैरा (2) का परंतुक देखें)

उत्पाद कोड	मदों का नाम
260101	बुने हुए सूती कपड़े
260102	बुनी हुई सूती बनियानें
260103	बुने हुए सूती मोजे
260104	बुने हुए सूती अधोवस्त्र
260106	बुनी हुई सूती शाल
260199	बुने हुए अन्य सूती वस्त्र
260201	बुने हुए ऊनी कपड़े
260202	बुनी हुई ऊनी बनियानें
260203	बुने हुए ऊनी मोजे
260204	बुने हुए ऊनी स्कार्फ
260205	बुने हुए ऊनी अधोवस्त्र
260206	बुनी हुई ऊनी टोपियां
260207	बुनी हुई ऊनी शालें
260208	ऊनी दस्तानें
260207	बुने हुए ऊनी मफलर
260299	ऊन के बुने हुए अन्य वस्त्र

आर्ट सिल्क/मैन मेड फाइबर हौजरी

260310	1. बुनी हुई सिन्थेटिक, जुराबें और स्टाकिंग्स
260302	2. बुने हुए सिन्थेटिक अंतर्वस्त्र जैसे बनियानें, ब्रीफ और ड्राअर
260304	3. बुने हुए सिन्थेटिक उपरिवस्त्र जैसे जर्सी, स्लिप ओवर, पुलओवर, कार्डीगन और जैकेट
260308	4. बुने हुए सिन्थेटिक बच्चों के वस्त्र जैसे बेबी सूट, निकर, फ्राक, अंतर्वस्त्र और उपरिवस्त्र,
26030901	5. स्लाइवर निटिंग से बने हाई पाईल फैब्रिक को छोड़कर सिन्थेटिक बुने हुए फैब्रिक और सिन्थेटिक बुने हुए कम्बल
260311	6. बुने हुए सिन्थेटिक तैराकी वस्त्र जैसे ट्रंक और पोशाक
260312	7. बुने हुए सिन्थेटिक वस्त्र जैसे स्कार्फ, मफलर, शाल, टोपियां, टाईयां, ब्लाउज और जीन
260313	8. बुनी हुई सिन्थेटिक कमीजें, टीशर्ट, कालर शर्ट और स्पोर्टस स्कर्टें
260314	9. बुने हुए सिन्थेटिक होज
260315	10. बुने हुए सिन्थेटिक गैस मेटल फैब्रिक
260316	11. अन्य सिन्थेटिक निट वियर
343101	लोहा आरी के फ्रेम
343102	पलायर
343103	स्क्रू ड्राइवर (पेंचकस)
343104	स्पैनर (पाने)
343106	हथौड़े
343108	निहाई
343109	लकडी के काम वाली आरी
343111	रेंचेज
343112	चाकू और शियरिंग ब्लेड (इनमें हाथ से काम करने के लिए धातु, कागज, बांस और लकड़ी के सभी प्रकार के ब्लेड शामिल हैं)

343113	कील खींचने वाला
343114	छेती
343115	सड़सी
343116	तार कर्तक
343199	लुहारी, बढ़ईगीरी, हाथ की गढ़ाई-ढलाई आदि के लिए अन्य हाथ के औजार"

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगी ।

[फा. सं. 7(3)/99-आई पी]
एम. एस. श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :— मूल आदेश संख्या का. आ. 857 (अ), तारीख 10 दिसंबर, 1997 द्वारा अधिसूचित किया गया था और तत्पश्चात् का.आ. संख्या 1288 (अ) तारीख 24 दिसंबर, 1999 द्वारा संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

ORDER

New Delhi, the 9th October, 2001

S.O. 1013(E).— Whereas the Central Government considers it necessary with a view to ascertain which ancillary and small scale industrial undertakings need supportive measures, exemption or other favourable treatment under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) (hereinafter referred to as the said Act) to enable them to maintain their viability and strength so as to be effective in-

(a) promoting in a harmonious manner the industrial economy of the country and easing the problem of unemployment; and

(b) securing that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good;

And whereas the Central Government considers it necessary to amend the order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) number S.O. 857(E), dated the 10th December, 1997 for the said purpose:

And whereas a copy of the said amendment of the notified order in draft was laid before each House of Parliament for a period of thirty days as required under sub-section (3) of section 11B of the said Act;

And whereas no modification in the draft of the proposed notified order has been suggested by both the Houses of Parliament; –

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11B and sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendments in the Order notified by Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) number S.O. 857 (E), dated the 10th December, 1997, namely:-

In the said Order,-

(a) in the paragraph (1) relating to Small Scale Industrial Undertaking, the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

"Provided that the investment ceiling in respect of the Small Scale Industrial Undertaking, manufacturing the items specified in the Appendix to this Order shall not exceed rupees five crores.";

(b) in the paragraph (2) relating to Ancillary Industrial Undertaking, the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

"Provided that the investment ceiling in respect of the Ancillary Industrial Undertaking, manufacturing the items specified in the Appendix to this Order shall not exceed rupees five crores.";

(c) after Note 2, the following Appendix shall be inserted, namely:-

"**Appendix**

List of Items
[see proviso to paragraph (1) or (2)]

Product Code	**Name of the items**
260101	Cotton cloth knitted
260102	Cotton vests knitted
260103	Cotton socks knitted
260104	Cotton undergarments knitted
260106	Cotton shawls knitted

260199	Other cotton knitted wears
260201	Woollen cloth knitted
260202	Woollen vests knitted
260203	Woollen socks knitted
260204	Woollen scarves knitted
260205	Woollen undergarments knitted
260206	Woollen caps knitted
260207	Woollen shawls knitted
260208	Woollen gloves
260207	Woollen mufflers knitted
260299	Other woollen knitted wears.
	Art Silk/man Made Fibre Hosiery
260310	1. Synthetic knitted socks and stocking
260302	2. Synthetic knitted underwears such as vest, briefs and drawer
260304	3. Synthetic knitted outerwears such as jersey slipovers, pullover, cardigans and jackets
260308	4. Synthetic knitted children wear such baby suits, knicker, frock, underwear and outerwear
26030901	5. Synthetic knitted fabrics except high pile fabric made by sliver knitting, and synthetic knitted blankets.
260311	6. Synthetic knitted swim wear such as trunk and costume
260312	7. Synthetic knit wear such as scarf, muffler, shawl, cap, ties, blouse and jean
260313	8. Synthetic knitted shirt, T-shirt, collar shirt and sports-skirts
260314	9. Synthetic knitted hose
260315	10. Synthetic knitted gas mantle fabric
260316	11. Other synthetic knitwear
343101	Hacksaw frames
343102	Pliers
343103	Screw drivers
343104	Spanners
343106	Hammers
343108	Anvils
343109	Wood working saws
343111	Wrenches

343112	Knives and shearing blades (all types including those of metal, paper, bamboo and wood for manual operations)
343113	Nail pullers
343114	Chisels
343115	Pincers
343116	Wire cutters
343199	Other hand tools for blacksmithy, carpentry, hand forging, foundry, etc."

This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 7(3)/99-IP]

M. S. SRINIVASAN, Jt. Secy.

Footnote:— The principal Order was notified vide number S.O. 857(E), dated 10th December, 1997 and subsequently amended vide number S.O. 1288(E), dated 24th December, 1999.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri; New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.